[2009] 4 एससीआर 1049

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
बनाम
कलावती देवी व अन्य.
सिविल अपील संख्या 1824/2009

24 मार्च, 2009

[डॉ। अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 166 और 170 - उच्च न्यायालय ने गलत तथ्यात्मक आधार पर बीमाकर्ता की अपील खारिज कर दी - समीक्षा के लिए आवेदन भी खारिज कर दिया - अपील पर, माना गया: चूंकि तथ्यात्मक पहलुओं को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया था, इसलिए उसे मामले को नए सिरे से सुनने का निर्देश दिया गया - अपील - निपटान का तरीका।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर एक आवेदन से उत्पन्न कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने अधिनियम की धारा 170 के तहत अपेक्षित चुनौती देने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि लिखित बयान दाखिल करने के बाद भी दोषी वाहन के मालिक ने इसमें रुचि नहीं ली थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें तर्क दिया गया था कि यह निष्कर्ष कि बीमाकर्ता ने प्रतिवाद करने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी, तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि दावे को प्रतिवाद करने की अनुमति वास्तव में एमएसीटी द्वारा दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया कि सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 के तहत समीक्षा का दायरा बहुत सीमित था और यह उस प्रकृति का मामला नहीं था जहां सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

वर्तमान अपील में अपीलकर्ता ने दलील दी कि चूंकि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गलत तथ्यात्मक आधार पर कार्यवाही की थी, इसलिए उसे पहले के आदेश को वापस लेना चाहिए था और मामले की नए सिरे से सुनवाई करनी चाहिए थी।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1. दावे का विरोध करने की अनुमति बीमाकर्ता को 25.4.2001 को दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 14.11.2003 को मूल आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उन पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। ऐसा होने पर, सिविल समीक्षा में 14.11.2003 और 5.7.2006 को पारित विवादित आदेश रद्द किए जाते हैं। चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह मामले का यथाशीघ्र निपटारा करे। [पैरा 5] [1051-डीएफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1824/2009

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की खंडपीठ के एम.ए. संख्या 184/2002 में दिनांक 14.11.2003 के निर्णय एवं आदेश तथा सिविल समीक्षा संख्या 37/2004 में दिनांक 05.07.2006 के अंतिम आदेश एवं निर्णय से।

मीनाक्षी अपीलकर्ता की ओर से मिधा , जॉय बसु , बीके सतीजा ।

उत्तरदाताओं के लिए सुस्मिता लाई, अपूर्ब लाई, अशेष लाई, रचना लाई।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. इस अपील में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एमए संख्या 184/2002 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता (जिसे आगे बीमाकर्ता कहा जाएगा) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपील को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 166 के तहत कार्यवाही में जब वाहन के मालिक ने लिखित बयान दाखिल करने के बाद रुचि नहीं ली, तो बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 170 के तहत आवश्यक रूप से प्रतिवाद करने की अनुमति प्राप्त कर सकता था और यह स्थापित कर सकता था कि शेख अख्तर , जो कि प्रश्नगत दुर्घटना के लिए

जिम्मेदार चालक था, के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था । लेकिन प्रतिवाद करने की ऐसी कोई अनुमति नहीं थी।

था । तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें तर्क दिया गया था कि यह निष्कर्ष कि बीमाकर्ता ने प्रतिवाद करने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था। वास्तव में दावे को प्रतिवाद करने की अनुमति एमएसीटी द्वारा 25.4.2001 को दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया कि समीक्षा का दायरा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') के आदेश 47 नियम 1 के तहत बहुत सीमित था और यह उस प्रकृति का मामला नहीं था जहां आदेश 47 नियम 1, सीपीसी के अनुसार कार्रवाई की जा सकती थी।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि चूंकि उच्च न्यायालय ने पहली बार गलत तथ्यात्मक आधार पर कार्यवाही की थी, इसलिए उसे पहले के आदेश को वापस लेना चाहिए था और मामले की नए सिरे से सुनवाई करनी चाहिए थी।

4. प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के आदेशों का समर्थन किया।

5. निर्विवाद रूप से दावे को चुनौती देने की अनुमति बीमाकर्ता को 25.4.2001 को दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 14.11.2003 को मूल आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उन पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। ऐसा होने पर, हम 2002 के एमए संख्या 184 में 14.11.2003 के विवादित आदेशों और 2004 के सिविल रिव्यू संख्या 37 में 5.7.2006 के आदेशों को रद्द करते हैं। चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस मामले का यथाशीघ्र निपटारा किया जाए, अधिमानतः इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर।

6. अपील स्वीकार की जाती है।

बीबीबी अपील स्वीकृत|

यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।